(b) if so, what are the main findings of the report and by when these are likely to be implemented; and

(c) if not, by when these reports will be finalised?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) No Sir.

(b) and (c) As the tentative reports involve further study and consultations with the relevant branches and departments, it would be difficult to indicate any definite time frame for finalisation of the reports.

Procurement of Iron-Ore by MMTC

2124. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the MMTC has reduced the procurement of iron-ore from Barbil-Banspani and Barfomda sector in Orissa;

(b) if so, since when and the reasons therefor;

(c) the steps taken to increase the procurement of iron-ore from that sector; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (d) MMTC has not reduced the procurement of ironore from Barbil-Banspani and Barajamda sector in 1995-96

(c) to (d) MMTC has taken the following steps to increase the procurement of ironore from this sector.

(i) Increase in the price of lumpy iron ore.

(ii) No quantity restriction on the supplies of lumpy ironore.

गेहूं का उत्पादन

2125. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **खाद्य** मंत्री 31 जुलाई, 1995 और 14 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में क्रमशः अतारांकित प्रश्न 104 और 1467 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष गेहूं का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) सरकार के पास इस समय गेहूं का कितना भंडार है; और

(ग) सरकार अतिरिक्त उत्पादित गेहूं का क्या उपयोग करना चाहती है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) फसल वर्ष 1994-95 में गेहूं का उत्पादन (वर्तमान रबी विपणन मौसम 1995-96 के विपणन के लिए) 65.47 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) 1.11.1995 को स्थिति के अनुसार सरकार के पास केन्द्रीय पूल में 15.7 मिलियन मीटरी टन मात्रा उपलब्ध है।

(ग) केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की जो वसूली की जाती है वह देश में उत्पादित गेहूं की समूची मात्रा का केवल लगभग 15—20% होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियमित निर्मुक्तियों के अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम को खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, मार्डर्न फूड इंडस्ट्रीज (ई) लिमिटेड और उसके फ्रेन्चाइज्ड यूनिटों को ब्रेड तैयार करने और उसे घटी दरों पर बेचने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित केन्द्रीय निगम मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम मूल्य पर इन्हें भी गेहूं का आवंटन किया जा रहा है: (1) देश में उन छात्रावासों को जिनमें रहने वाले दो-तिहाई से अधिक छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं, और (2) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों द्वारा ब्रेड, बन, पापड़, आदि जैसे खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए इसके अलावा, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को